प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.09.23

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा गैगस्टर एक्ट में वाछिंत 25000/-रु का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.09.2023 को थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा थाना साहिबाबाद पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वाँछित चल रहे 25000/-रु के इनामी अभियुक्त मनोज बरनाला पुत्र महेश बरनाला नि0 गधवानी कालौनी थाना गधवानी मध्यप्रदेश उम्र 30 वर्ष को दौराने गश्त व चेकिंग/ मुखबिर की सूचना पर हिंडन पुल से वसुन्धरा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही एवं पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया मैं व मेरा साथी मिलकर घरों में ताला तोडकर चोरी करते थे। गिरफ्तारी के डर से अलग-अलग शहरो में छिप रहा था पूर्व में घरों में चोरी के मुकदमों में थाना साहिबाबाद से जेल जा चुका है। मेरे गैंग में 02 सदस्य है। मेरा मुख्य कार्य घरों में चाबी बनाकर उसके बहाने चोरी करना है। इसी से हम अपनी जीविका चलाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

मनोज बरनाला पुत्र महेश बरनाला नि0 गधवानी कालौनी थाना गधवानी मध्यप्रदेश उम्र 30 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त उपरोक्त पर करीब आधा दर्जन चोरी के मुकदमें पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

साहिबाबाद पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 50 लाख रुपए की कीमत की 02 किलोग्राम अफीम सहित 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

दिनांक-15.09.2023 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद क्राइम ब्रान्च द्वारा थाना नन्दग्राम क्षेत्र में नन्दग्राम कट के पास से झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही 02 किलोग्राम अफीम सहित 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। अफीम तस्कर से बरामद 02 किलोग्राम अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 लाख रूपये है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ पर अभियुक्त मुकुल दांगी ने बताया कि मैं झारखण्ड के चतरा जिला का रहने वाले हूँ और 5वीं कक्षा तक पढा हूँ मेरी थोडी बहुत खेती बाडी है जिसमे घर के राशन की ही पूर्ति हो पाती है हमारी तरफ मादक पदार्थो का बहुत काम होता है मेरे कुछ जानने वाले गांजा व अफीम की तस्करी झारखण्ड से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली एन0सी0आर0 मे जाकर करते है, उनसे मेरा सम्पर्क हुआ मैं एक दो बार उनके साथ गया तो मुझे 10,000 रू0 मिले फिर मैंने सोचा कि इस काम मे काफी फायदा है, तो मैं आदित्य उर्फ आदि जो राँची का रहने वाला है के सम्पर्क मे आया और तस्करी करने लगा। अफीम व अन्य नशीले पदार्थ लेकर मैं बरेली, बदाँयू, मुरादाबाद, गाजियाबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व एन0सी0आर0 में डिमाण्ड के अनुसार सप्लाई करने लगा। अभियुक्त ने बताया कि मुझे अफीम की जितनी डिमाण्ड मिलती है उतना माल लेकर मैं बस व ट्रेनों से आता हूँ, मैं सीधे नही आता रास्ते मे गाडियाँ बदलता रहता हूँ जिसको माल देना होता है वो जगह पहले ही तय कर लेता हूँ कि माल कहाँ और कितने बजे देना है, जब मैं माल लेकर चलता हूँ तो अपना फोन बन्द कर लेता हूँ और किसी से सम्पर्क नही करता जब तक कि माल को तयशुदा जगह पर डिलीवरी न पहुँचा दूँ, मुझे गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर के पास 02 किलोग्राम अफीम सप्लाई का ऑर्डर मिला था, माल डिलीवरी करने से पहले मैं पकडा गया। पूछताछ पर यह भी बताया कि मैं काफी समय से यह काम कर रहा हूँ, मादक पदार्थो की तस्करी मे कम समय में ज्यादा फायदा होता है, मैं अपने शौक व घर के खर्चे इसी से पूरे करता हूँ।

अभियुक्त से पूछताछ पर मादक पदार्थो के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-.

1. मुकुल दांगी पुत्र इन्द्रदेव निवासी ग्राम दरियातु थाना चतरा जिला चतरा झारखण्ड उम्र करीब वर्ष 27

बरामदगी का विवरण:-

1.अफीम - 02 किलोग्राम कीमत लगभग 50 लाख रूपये

आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त मुकुल पर गाजियाबाद मे मादक पदार्थो की तस्करी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनाकं 16.09.2023 को थाना भोजपुर पर वादिया राजेश W/0 स्व0 ओमपाल ग्राम भोजपुर ने तहरीर दी कि शिवम S/O सतवीर, सतवीर S/O भुल्लन, शीशपाल S/O भुल्लन, भीम S/O शीशपाल ने मेरे व मेरे बेटे के साथ घर पर आकर गाली

गलौज कर मारपीट की तथा मेरे बेटे के उपर चाकू से वार कर जान से मारने की कोशिश की। थाना भोजपुर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 16.09.23 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शिवम चौधरी पुत्र सतवीर चौधरी निवासी ग्राम व थाना भोजपुर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

शिवम चौधरी पुत्र सतवीर चौधरी नि0 ग्राम व थाना भोजपुर गाजियाबद उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद

दिनांक 15/16.09.2023 की रात्रि को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त कामिल पुत्र इकबाल नि0 पाल मौहल्ला नूरगंज थाना मुरादनगर, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 किलो 350 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध सुंसगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त–

कामिल पुत्र इकबाल नि0 पाल मौहल्ला नूरगंज थाना मुरादनगर, गाजियाबाद

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर गौहत्या/पशुक्रुरता अधि0 का 01 अभियोग व एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग- कुल 02 अभियोग पंजीकृत है,

बरामदगी का विवरण-

- 01 किलो 350 ग्राम गांजा

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा एक जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 16.09.2023 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा एचपी पैट्रोल पम्प कट पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर जिला बदर अभ्यस्त अपराधी बादल यादव पुत्र पदम सिंह यादव नि0 ग्राम शाहपुर बम्हैटा गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को जिला बदर किये गये आदेश का अनुपालन न करते हुए जिले की सीमा के अन्दर चोरी की एक मोटर साइकिल सहित सारे होम्स लालकुंआ से गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त को दिनांक 31.08.2023 को गाजियाबाद से जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

बादल यादव पुत्र पदम सिंह यादव नि0 ग्राम शाहपुर बम्हैटा, गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण

चोरी की एक मोटर साइकिल

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त बादल उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद में चोरी के 4, लूट के 5, आयुध अधि0 के 2, हत्या का प्रयास के 1, एससी एसटी एक्ट का 1 , गैंगस्टर एक्ट का 1 अभियोग तथा जनपद गौतमबुद्धनगर में चोरी के 3, आयुध अधि0 के 1, हत्या का प्रयास का 1 अभियोग कुल 19 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 31.08.2023 को जनपद गाजियाबाद से जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे सें चोरी का 01 मोबाइल बरामद

दिनाकं 15.09.2023 को थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद पर मुकदमा वादी श्री शिवबालक पुत्र श्री मोती लाल निवासी सनी बाजार भोला मार्केट, चांद मार्कट के पास थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के घर मे रखे मोबाइल को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में अभियुक्त फरीद पुत्र कदीर अहमद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 16.09.23 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त फरीद पुत्र कदीर अहमद निवासी खुशहाल शनि बाजार चांद मार्केट पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से रियल मी मोबाइल बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त–

फरीद पुत्र कदीर अहमद निवासी खुशहाल शनि बाजार चांद मार्केट पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- चोरी का 01 मोबाइल,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक 21.08.23 को वादी ने तहरीर दी कि उसकी पुत्री (उम्र 15 वर्ष) दिनांक 12/8/23 को कम्प्यूटर क्लास के लिये निकली और फिर घर वापस नही आयी। इस सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पर तत्काल सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-

उक्त FIR पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.08.23 को पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया तथा पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर उक्त अभियोग में समुचित धाराओं के बढ़ोतरी की गई व प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त गोविन्द पुत्र करीमन को दिनांक 16.09.23 को कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त –

गोविन्द पुत्र करीमन निवासी ग्राम श्रीनगर थाना रेवती जिला बलिया हाल निवासी किरायेदार गीतांजली पब्लिक स्कूल के पास सैक्टर 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण-

वादी की लिखित तहरीर के आधार पर अभि0 सन्तराम के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पर 12 लाख रुपये की धोखाधडी से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 13/09/2023 को टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट व सर्विलांस की मदद से वाँछित अभियुक्त सन्तराम पुत्र महावीर को कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा कादारोड मोड मेन गेट वारिया फ्लाई ओवर के नीचे थाना दुर्गापुर जिला वेस्ट वर्धमान पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर मा0न्या0 ए0सी0जे0एम दुर्गापुर कोर्ट जिला पश्चिम वर्धमान वेस्ट बंगाल के समक्ष पेश कर ट्रांजिट रिमान्ड बनवाया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि मैनें वादी मुकदमा हरिओम गोयल से स्क्रैप दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपये धोखाधडी करके ले लिये थे वादी मुकदमा को मैनें न तो पैसे वापस दिये गये व ना ही स्क्रैप दिलाया। अभियुक्त ने बताया कि मैनें 12 लाख रुपये किसी दूसरे कम्पनी में लगा दिये थे, इस वजह से मैं पैसा नही दे पाया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

सन्तराम पुत्र महावीर निवासी अम्बेडकर नगर मौहल्ला थाना रोहतक सिटी जिला रोहतक हरियाणा उम्र 48 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सन्तराम

धोखाधडी से सम्बन्धित 01 अभियोग थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत है

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम